संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

कमांक/DTA/IFMIS/SWAN/ 2014/E-241 भोपाल, दिनांक 18/ 6 /2014

प्रति,

कृपया संग्लग्न से दें

1 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
कोष लेखा एवं पेंशन,
मध्यप्रदेश ।

2 समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- सेंट्रल मानीटरिंग यूनिट (सी.एम.यू.) में स्वॉन संबंधी प्रविष्टि करने बाबत् ।

दिनांक 02/06/2014 से 16/06/2014 की जानकारी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोषालय अधिकारियों द्वारा या तो जानकारी प्रेषित नही की जा रही है या अनियमित रूप से प्रेषित की जा रही है, जो कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता प्रदर्शित करता है । संचालनालय द्वारा चाही गई अन्य जानकारियों एवं पत्रो के जवाब में भी समय सीमा का ध्यान नही रखा जाता है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि -

(1) कोषालय अधिकारी प्रतिदिन कार्यालय पहुंचते ही तथा कार्यालय छोड़ने के पहले ई-मेल अवश्य देखे ।

(2) संचालनालय से प्राप्त निर्देशों को गंभीरता से पढें ।

(3) प्राप्त निर्देशो के अनुरूप समय सीमा में कार्यवाही की जाए यदि कार्यवाही में कठिनाई आती है तो उसका उल्लेख करते हुए अद्यतन स्थिति समय सीमा में अवगत कराई जाए।

(4) यदि आपके द्वारा प्रेषित जानकारी का कोई वापिसी मेल नही आता है, तो संबंधित अधिकारी से पुष्टि की जाए ।

(5) संचालनालय से प्राप्त स्थायी निर्देशों की एक पंजी रखी जाए और प्रति सप्ताह उसके अनुरूप समीक्षा की जाए कि निर्देशों के पालन में कोई चूक तो नही हो रही है।

(6) संभागीय संयुक्त संचालकों का यह दायित्व है कि अधीनस्थ कोषालयो से संबंधित जानकारी की निरंतर मॉनीटरिंग करें ।

निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में समय सीमा में एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

आयुक्त
कोष एवं लेखा म0प्र0

rahul168